

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2010—माघ 9, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. एफ. 4-4-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश के परामर्श से मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (जिला सतर्कता समितियाँ) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों को सम्मिलन के लिए क्रमशः रुपये 750/- और रुपये 550/- प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा किन्तु किसी माह में देय मानदेय की अधिकतम रकम उस माह के सम्मिलनों की संख्या पर विचार किए बिना अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के मामले में रुपये 7000/- और सदस्य के मामले में रुपये 5000/- से अधिक नहीं होगी।”

2. यह संशोधन “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F. 4-4-2008-1-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 17 of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government in consultation with the Lokayukt, Madhya Pradesh hereby Makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt (District Vigilance Committees) Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for sub-rule (1) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The Chairperson and the members of Committee shall be paid an honorarium @ Rs. 750 and Rs. 550 respectively per day for the meeting but the maximum amount of honorarium payable in any month shall not exceed in case of Chairperson Rs. 7000 and in case of a member Rs. 5000 irrespective of the number of meetings in that month.”

2. This amendment shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव.